

विषय:- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ग्रामों में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निम्न ग्रामों में दोहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल गई है तथा निम्नांकित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ग्रामों में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के स्वीकृति जारी की गई थी:-

| क्र. सं. | ग्रामों में खोली गई पीएचसी का नाम | पंचायत समिति | जिला        | सूची में क्रम संख्या | स्वीकृति दिनांक | सीएचसी स्वीकृत | विशेष विवरण    |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1        | दन्दूका                           | बांसवाडा     | जोधपुर      | 79                   | 8.6.13          | —              | ग्राम नहीं है। |
| 2        | टेपू                              | बाप          | जोधपुर      | 364                  | 8.6.13          | सीएचसी 28.6.13 | —              |
| 3        | ढढू                               | फलौदी        | जोधपुर      | 368<br>369           | 8.6.13          | —              | डबल            |
| 4        | बुढादीत                           | सुल्तानपुर   | कोटा        | 403<br>404           | 8.6.13          | —              | डबल            |
| 5        | कुनी                              | प्रतापगढ     | प्रतापगढ    | 472<br>473           | 8.6.13          | —              | डबल            |
| 6        | मऊ                                | श्रीमाधोपुर  | सीकर        | 516                  | 8.6.13          | सीएचसी 29.7.13 | —              |
| 7        | निरवाना                           | सूरतगढ       | श्रीगंगानगर | 550                  | 8.6.13          | सीएचसी 28.6.13 | —              |

उपरोक्तानुसार उक्त दोहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं। उनकी स्वीकृति आदेशों में विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(प्रहलादीर सिंह)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि आपके आदेश दिनांक 01.08.2014 में क्रम संख्या 1 पर जिला बांसवाडा के स्थान पर जोधपुर अंकित हो गया है। अतः संशोधन आदेश जारी करवाने का श्रम करावें।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर/कोटा/उदयपुर/जयपुर एवं बीकानेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर, कोटा, प्रतापगढ, सीकर एवं श्रीगंगानगर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा को भेजकर लेख है कि क्रम संख्या 1 पर अंकित जिला जोधपुर के स्थान पर बांसवाडा पढा जावें।
7. सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक) मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर